भारतीय संविधान में एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक विश्लेषण

डॉ. अमरजीत सिंह
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शास.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

सारांश

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विचारक, उत्कृष्ट वक्ता अदभुत विद्वता एवं ज्ञान के भण्डार, विधि विशेषज्ञ, उच्च कोटि के अर्थशास्त्री, दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता एवं करोड़ो भारतवासियों के लिये सम्मान के पात्र एवं प्रातः स्मरणीय है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद, असमानता, अन्याय, पूंजीवाद, ब्राम्हणवाद, पुरोहितवाद और पोषण के विरूध्द संघर्ष में समर्पित कर दिया, उन्हें दलितों का मसीहा एवं भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी अदम्य इच्छाशक्ति, अद्भुत ज्ञान कोशल, अंग्रेजी भाषा पर अदभुत नियंत्रण, किसी विचार या विषय को व्याख्यायित, वर्णित एवं विश्लेषित करने में उनकी पारंगतता, अटूट देश प्रेम एवं उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण ही तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद महात्मा गांधी की अनुशंसा पर संविधान सभा में स्थान देते हुये, का उन्हें अध्यख बनाया गया, उन्होंने अपनी मेहनत, निष्ठा, समर्पण एवं विद्वता से अपने ऊपर किये गये विश्वास को सही सिध्द किया। इस शोध पत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु एवं बीसवीं सदी का स्मृतिकार कहा जाता है।

मुख्य शब्द- दलितों के मसीहा, संविधान-दिवस, संविधान सभा, प्रारूप-समिति

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का अवतरण भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में हुआ है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अम्बेडकर एक उच्च कोटि के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतक होने के साथ-साथ एक महान समाज सुधारकद्ध प्रखर क्रांतिकारी, प्रख्यात कानून विद, उत्कृष्ठ शिक्षा शास्त्री एवं धर्मशास्त्री थे, भारत ही नहीं वरन समपूर्ण विश्व में उन्हें दलितोध्दार एवं अस्पृश्यता निवारण को भारत में एक जनआंदोलन का रूप देने तथा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने सपनों के भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिये जो कष्ट साध्य कार्य किये, जो योगदान दिया उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्हें हिन्दू समाज के अत्याचार पूर्ण तत्तवों के प्रति विद्रोह का प्रतीक माना गया।[1] उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद, असमानता, अन्याय, पूंजीवाद ब्राम्हणवाद, पुरोहितव्राद और पोषण के विरूध्द संघर्ष में समर्पित कर दिया। अभी पिछले वर्ष **26** नवम्बर को सम्पूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में संविधान दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। यद्यपि अम्बेडकरवादी और बौध्द धर्मावलंबियों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है, परन्तु भारत सरकार द्वारा पहली बार **2015** से **26** नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाये जाने का निर्णय लिया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉ. अम्बेडकर की **125**वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी।[2] यह राष्ट्र की तरफ से डॉ. अम्बेडकर को दी गई श्रध्दांजलि है। **26** नवम्बर को दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिये चुना गया है। बाबा साहब का पूरा जीवन हिन्दू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्व व्याप्त जाति व्यवस्था के विरूध्द संघर्ष में बीता।

भारतीय संविधान के महान शिल्पकार का जन्म **14** अप्रैल **1891** में महू (मध्यप्रदेश) में हुआ था। वे जाति से महारथ, जो उस समय महाराष्ट्र की एक अछूत जाति मानी जाती थी। गरीबी के कारण उनकी अधिकांश पढ़ाई मिट्टी के तेल की ढिबरी में हुई। **1907** में मैट्रिक की परीक्षा पास कर के बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जिसके बाद उनके समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। **1923** में वे लंदन से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत वापस आये और वकालत शुरू की। वे पहले ऐसे अस्पृश्य व्यक्ति बन गये जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की। बाल्यकाल से लेकर यौवनावस्था तक पग पग पर मिले सामाजिक अपमान के साथ ही अम्बेडकर का मन हिन्दू समाज के प्रति क्षोभ एवं घृणा से भर गया था। सवर्णो की सामाजिक दास्ता से अछूतों को मुक्ति दिलाने को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों को उनके शर्मनाक जीवन का जो वे सदियों से जी रहे थे, अहसास कराया और अछूतापन के नारकीय जीवन से मुक्ति पाने के लिये उन्हें एक जुट किया। उनका कहना था कि गुलाम को यह दर्शा दो कि वह गुलाम

है फिर वह अवश्य विद्रोह कर देगा।[3]

वास्तव में दलितों को परंपरागत दास्ता से मुक्ति दिलाना डॉ. अम्बेडकर के जीवन चिंतन एवं कार्य का प्रधान लक्ष्य था जिसे उन्होंने कभी नहीं छुपाया। उनका चिंतन उद्द्देश्य पूर्ण अवश्य था किन्तु पक्षपात-पूर्ण कतई नहीं था। वे एक विवेकशील व्यक्ति थे जिन्होंने तर्क और यथार्थ को अपने चिंतन का आधार बनाया था। उनका चिंतन अनुभवजन्य था न कि भावना अथवा कपोल कल्पना पर आधारित अस्पृश्यता, वर्ण एवं जाति आदि प्राचीन सामाजिक सस्थाओं की उत्पत्ति एवं प्रकत्रति की व्याख्या से संबंधित डॉ. अम्बेडकर के विचार खोज पूर्ण अध्ययन एवं ऐतिहासिक तथ्यों के तटस्थ एवं वैश्विक विवेचना पर आधारित रहे हैं। उन्हें बाबा साहब के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब को उनके महान कार्यो के लिये भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। समाज में सामाजिक समरसता के लिये पूरा जीवन लगाने वाले बाबा साहेब का **6** दिसम्बर **1956** को देहांत हो गया।

बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक एवं प्रमुख शिल्पकार माना जाता है।[4] प्रश्न यह खड़ा किया जाता है कि, जहां संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन **300** सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, इन सदस्यों में उस समय के प्रसिध्द एवं ख्यातिलब्ध राजनेता, कानून विद, वकील, विचारक एवं विद्वान मौजूद थे जिनमें प्रमुख थे, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बी. पट्टाभि सीतारमैय्या, जवाहर लाल नेहरू, के.एम. मुंशी, वल्लभभाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, जी.वी. मवालंकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा आदि संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ भी पंडित जवाहरलाला नेहरू द्वारा दिनांक **13** दिसम्बर **1946** को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और लगभग सम्पूर्ण संविधान सभा की गतिविधियाँ इसी के इर्द-गिर्द घूमती रही, तथ्यात्मक सत्य यह भी है कि संविधान सभा में **16** प्रमुख थेः डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बी. पट्टाभिसीतारमैय्या, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, जी.वी. मावलंकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा आदि संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिनांक **13** दिसम्बर **1946** को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और लगभग संपूर्ण विधानसभा की गतिविधियाँ इसी के इर्द-गिर्द घूमती रही, तथ्यात्मक सत्य यह भी है कि विधान सभा में **16** प्रमुख विशेषज्ञ समितियां थी प्रारूप समिति **16** में क्रम पर था।[5]

उक्त सभी समितियों ने अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार परिश्रम करके संविधान उक्त सभी समितियों ने अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार परिमश्रम करके संविधान निर्माण कार्य को अंजाम दिया था। क्रम **1** से क्रम **15** तक वर्णित समितियों की रिपोर्टस पर संविधान सभा में गहन, विमर्श, चर्चा और बहस होते थे। अन्त में जिन मुद्दों पर संविधान सभा में सहमति बनती थी या बहुमत जिसके पक्ष

में होता था, उसके अनुसार निर्णीत प्रावधानों को क्रम **16** पर उल्लिखित डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्वपाली **7** सदस्यीय समिति द्वारा केवल लिपिबध्द किया जाता था। यह भी सत्य है कि सभा के संविधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर **1974** में संविधान का प्रहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें **243** अनुच्छेद और **13** अनुसूचियां थी।[6] यह भी तथ्य है कि **6** मई **1945** को डॉ. अम्बेडकर ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि **1935** का अधिनियम पर्याप्त है। दूसरे दिन उन्होंने सविधान सभा के निर्माण के प्रसतव का विरोध भी किया था।

इन सब तथ्यों के बावजूद आखिर क्यों डॉ. अम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है।

वास्तव में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हो गया इसकी मांग आजादी के बहुत पहले से प्रारंभ हो चुकी थी परन्तु आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिये संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। भारत का नया संविधान काफी हद तक **1935** के गर्वमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और **1928** के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था।

डॉ. अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे, इस संदभ मेकं उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा, जिन पर शासन चलाने का दायित्व है, वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है।

लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिये भी जरूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने **1919** के माउंट फोर्ड सुधार प्रस्ताव से लेकर **1946** के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक विचार विमर्श में पूरी सक्रियता से भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर वह अकेले शख्सियत थे जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर वह अकेले शख्सियत थे जिन्होंने तीनों गोल मेंज सम्मेलन में भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधत्व किया था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन को आगांहकर दिया था कि वर्तमान समयमें भारत में तब तक कोई संविधान लागू नहीं हो सकता जब तक वह भारत के अधिकांश लोगों को वह स्वीकार न हो।

डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी अदम्य इच्छाशक्ति, अदभुत ज्ञान कौशल, अंग्रेजी भाषा पर अदभुत नियंत्रण, किसी विचार या विषय को व्याख्यायित, वर्णित एवं विश्लेषित करने में उनकी परंपरगतता,

अटूट देश प्रेम एवं उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कदम कदम पर सम्मानित किया गया। प्रथम कदम के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने दूसरे कदम के रूप में स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने एवं तीसरे कदम के रूप में प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया।

कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब जुलाई **1946** में संविधान सभा के लिये निर्वाचन हुये तो डॉ. अम्बेडकर मुस्लिम लीग की सहातया से बंगाल से निर्वाचित हुए। संविधान सभा में पहुंच जाने के बाद अम्बेडकर ने राष्ट्रीय घोषणा पत्र आदि तैयार करने में कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम किया और साथ ही उन्होंने अपने काम से कई सदस्यों को प्रभावित किया। विभाजन के पश्चात् उनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी बंगाल में चले जाने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसके अलावा **1946** के कार्यकाल में संविधान सभा के कुछ सदस्य जो उनके ज्ञान से परिचित हो गये थे। वो उनके साथ काम करने के इच्छुक थे। डॉ. अम्बेडकर की पुस्तक स्टेट्स एंडमायनारिटीज जिसकी रचना उन्होंने संयुक्त गणराज्य के सविधान के रूप में की थी। इसकी प्रतियां भी संविधान सभा में सभी के पास पहुंच चुकी थी। जिसे पढ़कर सभी उनके उत्कृष्ट ज्ञान के कायल हो गए थे। तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद पंडित जवाहर लाल नेहरू डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे अधिकांश कांग्रेसी नेता डॉ. अम्बेडकर की राजनीतिक योग्यता, वैचारिक उत्कृष्टता, विधि विशेषज्ञता एवं अपने दायित्वों को पूरी तन्मयता एवं समर्पण से अंजाम देने की उनकी क्षमता के प्रशंसक थे। कहीं संविधान सभा डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता से वंचित ना रह जाए यह सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि डॉक्टर अंबेडकर को कहीं ना कहीं से विजय करवा पुनः संविधान सभा में लाया जाए। इसी बीच मुंबई से एम.आर.जयकर के त्याग पत्र देने से एक स्थान रिक्त हुआ। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और सरदार पटेल ने मुंबई के मुख्यमंत्री बी.जी. खेर को पत्र लिखा कि एम.आर.जयकर के त्याग पत्र से जो स्थान रिक्त हुआ है उस पर डॉ. अम्बेडकर को निर्वाचित किराया जाए। इस प्रकार वे पुनः **22** जुलाई **1947** को संविधान सभा के सदस्य बने। इसी कड़ी में **29** अगस्त **1947** को भारतीय संविधान के निर्माण के लिये प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मोहम्मदसादुल्लाह, बी.एल. मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ऐन. माधवराव तथा टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का यह काम था कि वह संविधान सभाक ी परामर्श शाखा द्वारा तैयार किये गये संविधान का परीक्षण करें और फिर संविधान को विचार के लिये संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस दौरान संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों-प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिये एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉ. अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमि का रही थी।

अम्बेडकर एक बुध्दिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग **60** देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिये जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गये अनुच्छों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें, जिस बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाये, सभा के समक्ष कई मसविदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अम्बेडकर ने ही निभाई थी।[7] डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हुए अथाह मेहनत की जबकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनके पैरों में भी दर्द रहता था और वह मधुमेह से पीड़ित भी थे। इन सबके बावजूद अंबेडकर साहब की खास बात ये थे कि विधान के हर अनुच्छेद को वो खुद ही ज्यातादर संविधान सभा में प्रस्तुत कर तथा उसका महत्व समझ तथा एवं अपने अकाट्य तर्कों से संविधान सभा को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचन में मदद भी करते थे। अपनी नियुक्ति के बाद **30** अगस्त **1947** को सभा की बैठक हुई इसके तदुपरांत **141** को सभा की बैठकें होती रहीं जिसमें संविधान की विभिन्न स्वरूपों की रचना की गई प्रारूप समिति द्वारा चित प्रारूप संविधान को फरवरी **1947** में संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजा गया इसके प्रकाशित होने के बाद उसमें संशोधन के लिये आये सुझावों पर गहन विचार विमर्श किये गये और **26** अक्टूबर **1948** का प्रारूप सावधान का एक पुनः मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर ने **4** नवम्बर **1948** को अपने प्रारूप संविधान को संविधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया। **15** नवम्बर **1948** से प्रारूप संविधान पर विचार प्रारंभ हुआ जो संविधान सभा के सातवें आठवें नौवें और दसवें अधिवेशन में **17** अक्टूबर **1949** तक चलता रहा प्रारूप संविधान पर संविधान सभा के सचिवालय की लगभग **8000** संशोधन पत्रों की सूचना मिली जिनमें से लगभग ढाई हजार संशोधनों पर संविधान सभा में वाद विवाद हुआ और इन सब सभी वाद विवादों में डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी तैयारी और सक्रियता से भाग लिया था। संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गरमागरम बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किये और मामलों पर सर्व सम्मति लाने का प्रयास किया। धीरे-धीरे परिस्थितयां कुछ ऐसी बनीं, हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए किसी जिम्मेदारी अकेले डा. बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के कंधों पर ही आ पड़ी और उन्होंने बड़ी परिपक्वता और ईमानदारी से इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। **16** नवम्बर **1949** को संविधान का द्वितीय वाचन हुआ और अगले ही दिन संविधान का तीसरा वाचन शुरू होकर **26** नवम्बर **1949** को समाप्त हुआ और इसी दिन **395** अनुच्छेद **22** भाग और **8** अनुसूचियों से युक्त भारतीय संविधान भारत के संविधान सभा द्वारा स्वीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।[8] **26** नवम्बर **1949**,

को आखिरकार डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान को दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिन में देश को समर्पित कर दिया। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। **26** जनवरी **1950** को इसे लागू कर दिया गया।

बाबा साहब की कड़ी लगन और मेहनत का ही नतीजा है हमारा संविधान, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बीच आज भी एक जीवंत और प्रासंगिक डॉक्यूमेंट है। अपने भाषण का समापन करते हुये डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों-प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिये एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉ. अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिये गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉ. अम्बेडकर के शब्द और विचार संसार के बीज शब्द हैं, इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिये वे आजीवन संघर्ष करते रहे।

इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। यद्यपि भारत का नया संविधान काफी हद तक **1935** के गर्वमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट और **1928** के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, तथापि इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉ. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **370** का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया, और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि, अम्बेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए, और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होंगी, यह कभी नहीं करेगा।[9] बाद में नेहरू जी के दवाब में उसे संविधान में डाला गया।

अम्बेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्ष धर थे। अम्बेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती।[10]

संविधान सभा में बहस के दौरान, अम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी।[11] उन्हीं के प्रयासों से समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाला गया था।

डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाये रखने के लिये भी जरूरी है। अम्बेडकर द्वारा तैयार किये गये संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिये नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत शृंखला के लिये संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंधन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिये व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिये तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों एस.सी. और अनुसूचित जनजातियों एस.टी. और अन्य पिछड़ा वर्ग ओ.बी.सी. के सदस्यों के लिये नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिये असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्यवाही थी।[12] भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिये सामाजिक-अर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की।[13] संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर सथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युध्द दोनों के समय जोड़ कर रख सकें। वास्तव में, मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।[14]

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हुए अथाह मेहनत की जबकि नकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनके पैरों में भी दर्द रहता था और वह मधुमेह से पीड़ित भी थे। अम्बेडकर को पाकिस्तान में जो दलित थे उनकी भी लगातार चिंता थी। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान रचना में कितना परिश्रम किया इस बात का अंदाजा **4** नवम्बर **1948** को दिए गए टी.टी. कृष्णामाचारी के संविधान सभा में वक्तव्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था- मैं उस परिश्रम और उत्साह को जानता हूँ, जिससे उन्होंने संविधान सभा का प्रारूप को तैयार किया। संविधान सभाी सात सदस्य मनोनीत थे। उनमें से एक ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया, जिसकी पूर्ति कर दी गई, एक सदस्य का देहांत हो गया। उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अमेरिका चला गया और स्थान खाली बना रहा। एक अन्य सदस्य राजकीय कार्यों में व्यस्त रहा और उनका स्थान भी खाली

रहा। एक या दो सदस्य दिल्ली से बाहर रहे और शायद स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सकें। हुआ यह कि संविधान बनाने का सारा भार डॉ. अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा। इसमें मुझे संदेह नहीं कि जिस ढंग से उन्होंने संविधान तैयार किया, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है।[15]

इनके अलावा सैयद करीमुद्दीन, प्रो. के.टी. शाह, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, एस.नागप्पा, टी.प्रकाशम, जोसेफ ए.डीसूजा, आर.के.सिधवा, जे.जे. निकोलसराय आदि के भी वक्तव्य ध्यान देने योग्य हैं जिसमें उन्होंने डॉ. अम्बेडकर की सराहना की है। नेहरू जी ने भी उनकी संविधान सरंचना में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अक्सर डॉ. अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जा रहा है। वे अपनी तरफ से कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी सावधानी और कष्ट उठा कर संविधान बनाया है। संविधान सरंचना में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अक्सर डॉ. अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जा रहा है। वे अपनी से कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी सावधानी और कष्ट उठाकर संविधान बनाया है। संविधान निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक योगदान है।[16]

गणतंत्र भारत में संविधान को **26** जनवरी, **1950** को अमल में लगाया गया। इस अवसर पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था सभापति के आसन पर बैठकर, मैं प्रतिदिन की कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखता रहा और इसलिए, प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर डॉ. अम्बेडकर ने जिस निष्ठा और उत्साह से अपना कार्य पूरा किया, इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। डॉ. अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसका अध्यक्ष नियुक्त करने से बढ़ कर कोई और अच्छा हम दूसरा काम न कर सकें। उन्होंने चुनाव को न केवल न्यायोचित ठहराया है, बल्कि उस काम में कोति का योगदान दिया और जिसे उन्होंने सम्पन्न किया है।[17]

निशिचित तौर पर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत परिश्रम किया था। हालांकि वो इससे भी बहुत अधिक चाहते थे, तब जाकर उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो जाति, लिंग, नस्ल, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निशेध करता है बल्कि सदियों से पोषित वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाने का अवसर भी प्रदान करता है।[18] भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिये जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे हैं।[19]

अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिये नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत शृंखला के लिये संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी,

छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिये व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिये तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के सदस्यों के लिये नागकि सेवाओं, स्कूलों और कालेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिये असेंबली का समर्थन जीता जो कि सकारात्मक कार्यवाही थी।[20]

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम निःसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भारत के संविधानक निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर कि भूमि का अतुलनीय थी, उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी बीमारी के बावजूद जितनी वैचारिक, मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम किया उसकी प्रशंसा उनके व्याभिचारिक विरोधियों ने भी मुक्त कंठ से की थी, उन्होंने अपने कृतित्व एवं संवैधानिक विशेषज्ञता से यह सिध्द कर दिया था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था, संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते प्रावधानोंके बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिये एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉ. अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी, उनके इसी महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आधुकि भारत का मनु एवं भारत के संविधान का जनक की संज्ञा से विभूषित कर करोड़ो भारतीय सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक एवं संवैधानिक परिवेश में उनकी अतुलनीय सेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रेषित की है, सन् **1952** में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमि का और योगदान को देखते हुए उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था साथ ही मानवाधिकार एवं समाज सुधारकों के तौर पर संघर्ष करने वाले महापुरूष के रूप में सराहना की उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व मेषा हमारे लिये प्रेरणा के श्रोत रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. एलनोरजेलिएट, *द सोशल एडपॉलीटिकल थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर*, इन्थॉमसपैंथम एवं केन्नथ।
2. एल. दयूस्ब (1986) (संपादित), *पॉलीटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया*, रोजपब्लिकेशंस, नई दिल्ली, , पृ. 161.
3. Govt. to observe November 26 as Constitution Day. द, हिन्दू 11 अक्टूबर, 2015. अभिगमन।

4. तिथि 20 नवम्बर, 2015, अम्बेडकर संद, बाली, 1980-47.

5. पी.के. घोष, *कॉन्स्टिस्ट्यूशन ऑफ इण्डिया,* हाउ इट जबिनफ्रेम्ड, पृ. 53.

6. सुभाष कश्यप, *हमारा संविधान,* पृ. 77

7. Amanadas, Dr.K.,Kashmir Problem From Ambedkarite Perspective". *ambedkar.org.* मूल से 4 अक्टूबर, को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 17 सितम्बर, 2013.

8. *Ambedkar And The Uniform Civil Code*. मूल से 14. अप्रैल 2016 अभिगमन तिथि 20 नवम्बर, 2015. को पुरालेखित,

9. One Nation one Code: How Ambedkar and others pushed for a uniform code before Partition | *India News - Times of India*.The Times of India. मूल से 4. फरवरी 2018 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2019.

10. विजय कुमार पुजारी, *डॉ. अंबेडकर रूजीवन दर्शन,* गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 143.

11. एल. दयूस्ब (1986), *पॉलीटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया,* रोजपब्लिकेंशंस, नई दिल्ली, 1986, पृ. 161.

12. B.N. Rao, *India's Constitutioninthe making*,p -161-62

13. *संविधान सभा की बहस,* खंड-7, पृ. 231.

14. G.S. Lokhande, Bhimrao Ramji Ambedkar – *A Study in Social Democracy*, p-69.

15. S.L.Shakdhar (1966) *Constitutionand Parliament*,p-33

16. *Denying Ambedkar his due*. 14 June 2016.

17. Granville Austin (1999), *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford University Press.

18. D. L. Sheth, (1987).Reservations Policy Revisited". *Economic and Political Weekly*.

****